

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2013 आश्विन 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1039 / 79-वि-1—13-1(क)16-2013 लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

445 Sa Vidhaika 2013 Data-2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 13 का संशोधन 2--उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारणी में, क्रम संख्या-3 पर दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :--

क्रम	शर्त	इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की
संख्या		सीमा
(1)	(2)	(3)
3	यदि क्रय किये गये माल,— (एक) विक्रय के परिणाम से िन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारे किये किये जाएं; या (दो) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किए जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए;	इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो केन्द्रीय विक्रयंकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है।

धारा 20 का संशोधन 3—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :-

> "(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, यथास्थिति, आवर्त और कर की प्रत्येक मासिक या त्रैमासिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी माँग की जाए, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।"

धारा 21 का संशोधन 4—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा टी जाएगी, अर्थात् :—

"(7-क) उपधारा (4), (6) तथा (7) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुये भी, किमश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (4) में निर्दिष्ट ट्रांसपोर्ट मेमो में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के सव्यवहारों के प्रतिफलन के पिरप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जायेगा। यदि किमश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो पंजीकृत व्यापारी, जो किमश्नर द्वारा यथा विज्ञापित किसी वस्तु या किसी श्रेणी, की वस्तुओं का पारेषण या वितरण करता है, विहित विवरण की विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और वेबसाइट में ऐसे विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण किमश्नर द्वारा विहित रीति से ऐसी वस्तुओं के परिवहन के समय ऐसी वस्तुओं के साथ ले जाया जायेगा।"

धारा 24 कां संशोधन .5—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(7) कर भुगतान के लिये ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार किया हो सहित प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिये, समेकित विवरणों के अनुलग्नक ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाएं, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द "समेकित विवरणों के अनुलग्नक" का तात्पर्य ऐसे अनुलग्नक से होगा जिसमें क्रय और विक्रय तथा करदेयता की गणना व्यवहारी द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिये स्वीकार की पयी क्रय और विक्रय के विवरणों में समाहित हो तथा जिसमें व्यवहारी द्वारा उस कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे तथा ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके लिये जमा किये गये कर के विवरण एवं ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं समाहित हों।"

6-मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 25 का संशोधन

(2) व्यवहारी द्वारा समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने के पश्चात् और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसे अनुलग्नक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाए गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात् किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अविध के लिये उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।"

7—मूल अधिनियम की घारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित घारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 27 का संशोधन

- '27(1) धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने अंतिम कर अविध की विवरणी तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक विहित प्रपन्न और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीकृत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसे अनुलग्नकों में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।
- (2) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिये,—
 - (क) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये समेकित विवरणों के अनुलग्नक को कर निर्धारण आदेश समझा जायेगा और ऐसे अनुलग्नक में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा, और
 - (ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।"

8-मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

घारा 28 का संशोधन

- (क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,-
- (एक) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने आवर्त और कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नक या संशोधित समेकित विवरणों के अनुलग्नक को निर्धारित या बढ़ायी गयी अविध के भीतर प्रस्तुत न किया हो; या ऐसे समेकित विवरणों के अनुलग्नक में दोषपूर्ण या गलत विवरण निहित है या करमुक्त अथवा कर की दर में कमी के लिये संबंधित घोषणापत्र या प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं, या"
 - (दो) उपखण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समेकित विवरणों के अनुलग्नक में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित देय कर की धनराशि प्रत्यय योग्य नहीं है अथवा इन अनुलग्नकों में देय कर व्यवहारी द्वारा जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाकृत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या"
- (ख) उपधारा (3) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा अर्थात् :–
 - "(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह समेकित विवरणों के अनुलग्नक, यदि उसने ऐसे अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किये हैं, प्रस्तुत कर दें,"
 - (ग) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नितिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--
 - "(11) उपधारा (9) के अधीन व्यवहारियों से समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामलों में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।"

धारा 40 का संशोधन 9—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत किये हों, और''

वारा 44 का संशोधन 10-मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :--
- "(1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उत्तनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी।"
- (ख) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

. धारा 50 का संशोधन 11-मूल अधिनियम की धारा 50 में,--

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किमश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के पिरप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि किमश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है तो उन वस्तुओं, जिनका परिवहन किसी वाहन के द्वारा किया जाता है, का खामी या प्रभारी विहित विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण किमश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :--

"(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहाँ किसी वाहन द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में इस प्रकार प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है, वहाँ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।"

धारा 51 का संशोधन 12-मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किमश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणापत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के पिरप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि किमश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो उन वस्तुओं जिनका परिवहन रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किए जाने का प्रमाण किमश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

"(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहाँ रेल. वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु. मार्ग के द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष किमश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है वहाँ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमित प्रदान कर सकता है।"

13-मूल अधिनियम में धारा 58 के उपरान्त निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी,

नई धारा 58-क का बढ़ाया जाना

अर्थात् :-

"58-क (1) किमश्नर राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर इस अधिनियम के

अधीन वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 57 के अधीन अपील या पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के किये जाने की प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमा नियत करने के सम्बन्ध में आदेश, अनुदेश या निर्देश इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को निर्गत कर सकते हैं।

- (2) जहाँ किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये किसी निर्धारिती के मामले में किसी बिन्दु पर धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया है वहाँ यह ऐसे प्राधिकारी को उक्त बिन्दु पर धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित के मामले में बाधित नहीं करेगा:—
 - (क) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु उसी निर्धारिती के मामले में, या
 - (ख) उसी अथवा अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु किसी अन्य निर्धारिती के मामले में।
- (3) इस तथ्य के होते हुये भी कि किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती, जो ऐसी धारा 57 के अधीन किसी अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण की पार्टी है, के लिए विधिसम्मत नहीं होगा कि वह यह प्रतिवाद कर सके कि वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा 57 के अधीन कोई-अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर न करने के कारण निर्णय में विवादित बिन्दु को स्वीकार कर लिया है।
- (4) ऐसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाला अधिकरण या उच्च न्यायालय उपधारा(1) के अधीन निर्गत आदेश, अनुदेश या निर्देश तथा उन परिस्थितियों का, जिनके अन्तर्गत किसी वाद के संबंध में धारा 57 के अधीन ऐसी अपील या धारा 58 के अधीन ऐसा पुनरीक्षण दायर किया गया है अथवा दायर नहीं किया गया है, का ध्यान रखेंगे।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उठ प्रठ अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) को राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिये मूल्य संवर्धित कर प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु उपबंधित करने के लिये अधिनियमित किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने वर्ष 2012 में प्रदेश की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति घोषित की थी। उक्त नीति के प्रस्तर 5.2.4 एवं 3.1.4.1 उक्त अधिनियम से सम्बन्धित हैं तथा उनके क्रियान्वयन के लिये उक्त अधिनियम में उनके संशोधन की आवश्यकता है। उक्त नीति के क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 20, 24, 25, 27, 28, 40 एवं 44 को संशोधित किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया कि राज्य के भीतर परिवहन मेमों के साथ माल का परिवहन एवं घोषणा प्रपन्न के साथ राज्य में माल का आयात और सुगम बनाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 21, 50 एवं 51 को संशोधित किया जाय तथा अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने के लिये मीद्रिक सीमा नियत करने का प्राविधान करने के लिये नई धारा 58-क बढ़ा दी जाय।

2-उत्तर प्रदेश मूल्य सवंधित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, एस० के० पाण्डेय, .प्रमुख सचिव।

No. 1039(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)16-2013 Dated Lucknow, September 26, 2013

pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 25, 2013.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 18 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN '

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

Amendment of section 13 of U.P. Act no. 5 of 2008 2. In section 13 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), in the Table for the entries at serial no. 3 the following entries shall columnwise be substituted, namely:—

Serial No.	Conditions	Extent of amount of input tax credit
(1)	(2)	(3)
3	If purchased goods are, — (i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or (ii) used in manufacture of any taxable goods except non-vat goods and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale.	Partial amount of input tax, which is in excess of rate prescribed under subsection (1) of section 8 of the Centra Sales Tax Act, 1956 of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer of to the State Government.

Amendment of section 20

- 3. In section 20 of the principal Act, for sub-section (5) the following sub-section shall be substituted, namely: -
- "(5) Every dealer who possesses Permanent Account Number allotted under the Income Tax Act, 1961, shall mention such number on every monthly or quarterly return as the case may be, of turnover and tax and shall furnish such number whenever required by any authority under this Act."

Amendment of section 21

- 4. In section 21 of the principal Act, after sub-section (7) the following sub-section shall be inserted, namely:—
- "(7-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-sections (4), (6) and (7) the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the transport memo referred to in sub-section (4) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the commissioner notifies the website, the registered dealer who consigns or delivers any goods or class of goods as notified by the Commissioner, shall enter the prescribed particulars in the notified website and the proof of entering such particulars in the website shall accompany the goods during journey of goods, in the manner prescribed by the Commissioner."

5. In section 24 of the principal Act for sub-section (7) the following subsection shall be substituted, namely: -

Amendment of section 24

(7) Every taxable dealer, including a dealer who has carried on business during part of an assessment year, shall, for such assessment year or part thereof as the case may be, submit Annexures of Consolidated Details within such time and in such form and manner as may be prescribed.

Explanation:- For the purposes of this Act the words "Annexures of Consolidated Details" shall mean the Annexures containing the details of purchases and sales and computation of liability of tax in respect of such purchases and sales as admitted by the dealer for the related assessment year and shall also embody the details of input tax credit claimed by the dealer and amount deposited as tax by and on behalf of such dealer during the corresponding assessment year and such other particulars as may be prescribed."

6. In section 25 of the principal Act for sub-section (2) the following sub- Amendment of section shall be substituted, namely: -

section 25

- (2) No provisional order of assessment under sub-section (1) for any taxperiod of an assessment year, shall be made after the dealer has submitted Annexures of Consolidated Details and where such Annexures have not been submitted by the dealer after expiration of the time prescribed or extended by the assessing authority, for submission of such Annexures."
- 7. For section 27 of the principal Act the following section shall be substituted, namely: -

Amenament of section 27

- "27(1) Subject to provisions of section 28, every dealer, who has submitted the return of last tax period as well as the prescribed Annexures of Consolidated Details in the prescribed form and manner, shall be deemed to have been assessed to an amount of tax admittedly payable on the turnover of purchase or sale or both, as the case may be, disclosed in such Annexures and to an amount of input tax credit shown admissible in such Annexures.
 - (2) For all purposes under this Act and rules made thereunder
 - (a) Annexures of Consolidated Details submitted by a dealer, shall be deemed to be an assessment order and facts disclosed or figures mentioned in such Annexures shall be deemed part of such assessment order; and
 - (b) last date of the assessment year succeeding the assessment year in which the date prescribed for submission of such Annexures of Consolidated Details falls, shall be deemed to be the date of such assessment order."
 - 8. In section 28 of the principal Act,-

Amendment of section 28

- (a) in sub-section (1), in clause (b).-
- (i) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be substituted, namely: -
- "(i) dealer who has not submitted Annexures of Consolidated Details or revised Annexures of Consolidated Details of turnover and tax, within the time prescribed or extended; or such Annexures of Consolidated Details contain wrong or incorrect particulars or do not accompany declaration or certificate for exemption or reduction in the rate of tax, or"
- (ii) for sub-clause (iv) the following sub-clause shall be substituted, namely: -

- "(iv) dealer in whose case, on the basis of material available on records, if the assessing authority is satisfied that the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, and amount of tax shown payable as disclosed by the dealer in Annexures of Consolidated Details are not worthy of credence or tax shown payable in these Annexures has not been deposited by the dealer, or the amount of input tax credit claimed is wrong or the amount of tax payable shown is incorrect; or"
- (b) in sub-section (3) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(i) be required to furnish Annexures of Consolidated Details if he has not already submitted such Annexures."
- (c) for sub-section (11) the following sub-section shall be substituted, namely: -
- "(11) Dealers under sub-section (9) shall not be required to furnish Annexures of Consolidated Details and in cases of such dealers assessment under sub-section (9) may be made even before the expiry of the assessment year."

Amendment of section 40

- 9. In section 40 of the principal Act, in sub-section (5) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:
 - "(a) has neither submitted returns of turnover and tax for all tax periods nor has submitted Annexures of Consolidated Details for the assessment year in which sales are made; and"

Amendment of section 44

- 10. In section 44 of the principal Act,-
- (a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-
- "(1) For the purpose of examining the correctness of tax return or returns and Annexures of Consolidated Details filed by a dealer or class of dealers and to verify admissibility of various claims including claim of input tax credit made by a dealer or class of dealers, tax audit shall be made of such number of dealers as may be prescribed."
- (b) In sub-section (3) for the words and figure "sub-section (1)" the words and figure "sub-section (2)" shall be substituted.

Amendment of section 50

- 11. In section 50 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (1) after the existing proviso the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the declaration referred to in sub-section (1) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the Commissioner notifies the website, the owner or the person in-charge of the goods which are carried by a vehicle, shall enter the prescribed particulars in the notified website and shall produce the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner."

- (b) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely:-
- "(3-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) or sub-section (3), where the owner or the person in-charge of the goods which are carried by a vehicle has entered the above particulars in the notified website and produced the proof of entering the particulars in such website before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner, such officer may subject to the provisions contained in sub-section (4) allow the vehicle to pass through."

12. In section 51 of the principal Act,-

Amendment of section 51

- (a) in sub-section (1) after the existing proviso the following proviso shall be inserted, namely:
- "Provided further that the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the declaration referred to in sub-section (1) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the Commissioner notifies the website, the owner or the person in-charge of the goods which are carried by rail, air, post, river or ropeway shall enter the above particulars in the specified website and shall produce the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner."
- (b) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely:-
- "(3-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) or sub-section (3), where the owner or the person in-charge of the goods which are carried by rail, air, post, river or ropeway has entered the above particulars in the notified website and produced the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section in the manner prescribed by the Commissioner, such officer may subject to the provisions contained in sub-section (4) allow the vehicle to pass through."
- 13. After section 58 of the principal Act the following section shall be inserted, namely:

Insertion of new section 58-A

- "58-A (1) The Commissioner with the approval of the State Government may, from time to time, issue orders, instructions or directions to the authorities under this Act fixing the monetary limits for filling of appeal or revision under section 58 by the commercial tax authority under this Act.
- (2) Where a commercial tax authority in pursuance of the orders, instructions or directions issued under sub-section(1), has not filed any appeal under section 57 or revision under section 58 on any issue in the case of an assessee for any assessment year, it shall not preclude such authority from filing an appeal under section 57 or revision under section 58 on the same issue in the case of.
 - (a) the same assessee for any other assessment year, or
 - (b) any other assessee for the same or any other assessment year.
- (3) Notwithstanding that no appeal under section 57 or revision under section 58 has been filed by a commercial tax authority pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), it shall not be lawful for an assessee, being a party in any appeal under section 57 or revision under section 58 to contend that the Commercial tax authority has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal under section 57 or a revision under section 58 in any case.
- (4) The Tribunal or High Court hearing such appeal or revision, shall have regard to the orders, instructions or directions, issued under subsection (1) and the circumstances under which such appeal under section 57 or revision under section 58 has been filed or not filed in respect of any case."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008) has been enacted provide for introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale purchase of goods in the State. In the year 2012 the Industrial Development Department had declared Infrastructure and Industrial Investment Policy of the State. Paras 5.2.4 and 3.1.4.1 of the said Policy related to the said Act and require amendment in the said Act for the implementation thereof. With a vi to implementing the said Policy it has been decided to amend sections 13, 20. 24, 25, 27, 28, 40 and 44 the said Act. It has also been decided to amend sections 21, 50 and 51 of the said Act to ma transportation of goods within the State alongwith Transport Memo and import of goods into the State alongwith Form of Declaration more easy and to insert a new section 58-A to provide for fixing monetary limit for filing appeal and revision.

2. The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order, S. K. PANDEY, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ४४५ राजपन्न (हि०)—2013—(953)—599 प्रतियां (कम्यूटर / टी० / आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ७६ सा०विधायी—2013—(954)—500 प्रतियां (कम्यूटर / टी० / आकसेट)।